न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 37 / 2025 राजस्व अपील

1. नंगू पुत्र रामप्रसाद जाति गुर्जर निवासी सलेमपुर तहसील महवा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार, खेड़ला बुजुर्ग तहसील महवा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व उप तहसीलदार खेडला बुजुर्ग तहसील महवा जिला दौसा का निर्णय दिनांक 19.09.2025 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम नंगू मु. नं. 48 / 2025 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम)

उपस्थिति : श्री पदमसिंह गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांकः 23.03.2026

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का बडगांव द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार खेड़ला बुजुर्ग के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि अपीलांट ने संवत 2082 में ग्राम रतनपुरा के आराजी खसरा नम्बर 16 रकबा 0.12 है0 में से 0.08 है0 भूमि किस्म चरागाह पर काश्त कर अतिक्रमण किया है। जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया व नोटिस जारी किये गये। जिस पर अपीलांट की विधिवत रूप से तामिल नही हुई। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.09.2025 को अपीलांट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही कर व एकतरफा में पटवारी हल्का बयान लेकर अपीलांट को 30 दिवस के कारावास व पेनल्टी से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिये। उक्त निर्णय दिनांक 19.09.2025 के विरूद्व अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। तत्पश्चात् अधिवक्ता अपीलान्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश खिलाफ कानून नियम, उप नियम व पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलांट ने किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिकमण नही किया न ही काश्त की। बल्कि उक्त भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि से लगती हुई भूमि है। चरागाह भूमि का सीमाज्ञान भी नही हो रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका ही नही दिया। जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि पीडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका देकर ही निर्णय पारित करना चाहिए। अपीलांट की विधिवत तामील भी नही हुई है। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई सबूत भी नही है। पटवारी हल्का के बयान भी अपीलांट के समक्ष नही हुये न ही अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर ही दिया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्श नही हुई जो बिना प्रदर्श साक्ष्य मे ग्रहयोग्य नही थी तथा उसके आधार पर किया गया निर्णय अवैधानिक होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम तारीख पेशी पर ही एकतरफा कार्यवाही कर दी। तथा उसी दिन पटवारी हल्का के बयान दर्ज कर लिये। पटवारी उसी रोज किस आधार पर साक्ष्य के लिए उपस्थित हुआ यह भी अपने निर्णय में अंकित नही किया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.09.2025 को निरस्त फरमावे।

अति. जिला कलक्टर
दौसा

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने संवत् 2082 में प्रश्नगत भूमि खसरा नंबर 16 रकबा 0.12 है0 में से 0.08 है0 किस्म चरागाह पर बाजरा काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस तामील प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अपीलान्ट बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा गत वर्षो में भी इसी रकबे पर अतिक्रमण किया गया था जिसकी धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही कर अतिक्रमी को पूर्व में बेदखल किया गया था। लेकिन अपीलान्ट द्वारा संवत 2082 में पुनः अतिक्रमण कर लिया। जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार खेडला बुजुर्ग द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर 30 दिन के सिविल कारावास की सजा व लगान का 50 गुना शास्ति से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 19.09.2025 पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा प्रश्नगत चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया तथा पटवारी हल्का से जिरह का भी अवसर नहीं दिया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार खेडला बुजुर्ग तहसील महवा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2025 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

23/3/26

(अरविन्द शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/3/26

(अरविन्द शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा